निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

११ भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 873) पटना, सोमवार, 2 सितम्बर 2024

सं० 14 / विविध–08 / 2024—1902(14) / स्वा०
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प
9 अगस्त 2024

विषयः– स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सी०एम०सी०), वेल्लोर, तमिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चों (12 वर्ष तथा उस से कम आयु) में पायी जाने वाली बीटा थेलेसिमिया मेजर (Beta Thalassemia Major) का निरोधात्मक उपचार (Curative Treatment) बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किये जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु एक नई योजना ''मुख्यमंत्री बाल थेलेसिमिया योजना'' की स्वीकृति।

थेलेसिमिया (Thalassemia) एक गंभीर, जन्मजात एवं वंशानुगत बीमारी है, जिसमें माता–पिता रोग के वाहक (Carrier) होते हैं, परन्तु नवजात शिशु इस गंभीर जानलेवा रोग से ग्रसित हो जाता है। इंटरमीडिया (Intermedia) एवं माईनर (Minor) थेलेसिमिया के हल्के रूप है, जबकि बीटा थेलेसिमिया मेजर (Beta Thalassemia Major) इसका गंभीरतम रूप है। इसमें अस्थिमज्जा (Bone Marrow) में खून के लाल रक्त कण का उत्पादन बंद हो जाता है। रक्ताल्पता की वजह से शरीर का विकास अवरूद्ध हो जाता है एवं अन्य अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः समय–समय पर खून चढ़ाकर (Blood Transfusion) बच्चे को बचाया जाता है। यह एक अस्थायी उपचार है एवं बार–बार खून चढ़ाने से लीवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis) तथा हार्ट फेल्योर (Heart Failure) का खतरा बना रहता है। मरीज के बढ़ते उम्र एवं बार–बार खून चढ़ाने से लीवर धीरे–धीरे खराब होता जाता है, इसलिए 12 वर्ष तथा उससे कम आयु के बच्चों को ही Bone Marrow Transplantation हेतु चयन किया जाता है ताकि सर्वोतम Success Rate प्राप्त किया जा सके। Bone Marrow Transplantation / Haemopoietic Stem cell Transplantation इस जन्मजात जानलेवा बीमारी का एक स्थायी, निरोधात्मक उपचार है जिसमें रोग ग्रस्त Bone Marrow / Stem cell को दानकर्त्ता (Donor) के स्वस्थ Bone Marrow Cell से बदल दिया जाता है। बिहार राज्य में वर्त्तमान में लगभग 2400 पंजीकृत बीटा थेलेसिमिया मेजर रोगी हैं, जिसमें 2006 रोगी 12 वर्ष तथा उससे कम आयु के हैं। Bone Marrow Transplantation विधि से इनका निरोधात्मक उपचार किये जाने से वे सामान्य जीवन जी सकेंगे।

2. इस योजना से वैसे बाल ''बीटा थेलेसिमिया मेजर'' रोगी जिनकी आयु 12 वर्ष से कम, लीवर साईज 5 सेंटिमीटर से कम हो, वे लाभान्वित होंगे।

3. इस योजना के तहत रोगी, HLA matched donor एवं रोगी के अभिभावक को सी०एम०सी०, वेल्लोर, तमिलनाडु भेजा जायेगा जहाँ उनका एक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत Bone Marrow/Stem cell का प्रतिस्थापन (Transplantation) किया जायेगा।

4. सी०एम०सी०, वेल्लोर, तमिलनाडु से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार Bone Marrow/Stem cell का प्रतिस्थापन (Transplantation) की सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रति रोगी 15 (पन्द्रह) लाख रूपये का व्यय होगा, जिसका वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा। सी०एम०सी०, वेल्लोर के द्वारा दर परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस मद में भुगतेय राशि का पुनर्निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5. इसके तहत रोगी एवं डोनर का HLA स्क्रीनिग (किट, कंज्युमेबुल्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन या डे–केयर शिविर का आयोजन सहित) की व्यवस्था, रोगी, डोनर तथा रोगी के अभिभावक को सी०एम०सी०, वेल्लोर के लिए त्वरित आवागमन (वायुयान सहित) की व्यवस्था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरांत तीन माह तक निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था, डे–केयर सेंटर के कर्मियों को हेल्थ केयर का प्रशिक्षण, रोगी के अभिभावको के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन एवं रोगियों की स्क्रींनिग एवं डायग्नोसिस द्वारा पहचान किया जाने संबंधी उत्तरदायित्व सी०एम०सी०, वेल्लोर का होगा।

6. थेलेसिमिया रोगियों एवं उनके भाई–बहनों का डाटा सी०एम०सी०, वेल्लोर से साझा करना, डे–केयर सेंटर अथवा अन्य वांछित स्थानों पर स्क्रींनिग शिविर आयोजित करने हेतु जगह एवं मानवबल उपलब्ध कराना, रोगी एवं डोनर की सामान्य जाँच यथा– सी.बी.सी., एल.एफ.टी., के.एफ.टी., हेपेटाईटिस–बी., सी. एवं एच.आई.वी. संक्रमण आदि की जाँच एवं योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का होगा। योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई/विसंगति के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग सक्षम होगा।

7. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आदित्य प्रकाश,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 873-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in